न्यायालय उपजिलाधिकारी लालगंज–प्रतापगढ़

वाद सं0 51

दिलीप कुमार, अजीत कुमार व दिनेश कुमार...............बनाम...........सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0
ग्राम–राजमतीपुर, पर0–अठेहा, तह0–लालगंज
जनपद–प्रतापगढ़

आदेश

प्रस्तुत वाद, वादी दिलीप कुमार, अजीत कुमार व दिनेश कुमार सुत–चन्द्रशेखर मिश्र निवासी ग्राम–लख[illegible]पुरशूर परगना–अठेहा तहसील–लालगंज जिला–प्रतापगढ़ द्वारा अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0 के [illegible] प्राप्त किया गया है। जिसमें कहा गया है कि ग्राम–राजमतीपुर की गाटा सं0–222 ख/0.433 हे0, 237/0.280 व गाटा सं0–241/0.168 हे0 पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। अन्त में वादग्रस्त भूमि अकृषिक/व्यवसायिक भूमि घोषित किये जाने की याचना किया है।

[illegible]ार तहसीलदार लालगंज से आख्या आहूत की गयी। तहसीलदार लालगंज ने लेखपाल/रा0नि0 से आख्या आहूत कर अपनी आख्या दिनाँक 21–01–2021 को अग्रसारित करते हुए न्यायालय में प्रेषित किया है, जिसमें कहा गया है कि ग्राम–राजमतीपुर की गाटा सं0–222 ख/0.433 हे0, 237/0.280 व गाटा सं0–241/0.168 हे0 कुल रकबा 0.881 हे0 का वादीगण संक्रमणीय भूमिधर हैं। जिसमें कृषि कार्य नहीं किया जाता है। इसप्रकार गाटा सं0–222 ख/0.433 हे0, 237/0.280 व गाटा सं0–241/0.168 हे0 कुल रकबा 0.881 हे0 भूमि अकृषिक/गैर कृषि प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किये जाने की रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध साक्ष्यों व तहसीलदार लालगंज के आख्या का परिशीलन किया कोई विवाद नहीं है। तहसीलदार लालगंज के आख्या स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

अतः तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनाँक 21–01–2021 स्वीकार करते हुए भूमि राजमतीपुर की गाटा सं0–222 ख/0.433 हे0, 237/0.280 व गाटा सं0–241/0.168 हे0 कुल रकबा 0.881 हे0 भूमि अकृषित/व्यवसायिक भूमि घोषित की जाती है। वाद अमलदरामद पत्रावली दा0द0 हो।

उपजिलाधिकारी
लालगंज–प्रतापगढ़
दिनाँक–21/1/21

प्रतिलिपि–उपनिबन्धक लालगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी
लालगंज